न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/125 दायरा दिनांक : 01.11.2021

उनवान

रविन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज, जाति बैरवा, निवासी ग्राम रटावद, तहसील व जिला बारां (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– पुष्पाबाई पुत्री श्री धूलीलाल, पत्नि श्री केसरीलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम रटावद, तहसील व जिला बारां (राज0)
2– प्रेमचन्द पुत्र श्री केसरीलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम रटावद, तहसील व जिला बारां (राज0)
3– कमलेश पुत्र श्री केसरीलाल, जाति बैरवा, निवासी ग्राम गेंता, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा (राज0)
4– लखन पुत्र श्री हेमराज, जाति बैरवा, निवासी ग्राम रटावद, तहसील व जिला बारां (राज0)
5– रेखा पुत्री श्री हेमराज, जाति बैरवा, निवासी नीमोदा हरिजी, तहसील दीगोद, जिला कोटा (राज0)
6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 39/2018/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रटावद, तहसील बारां में खसरा नं. 177 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 178 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 179 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नं. 254 रकबा 0.08 हेक्टर कुल किता 4 रकबा 0.80 हेक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2021 से वादी का वाद खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट ने एक वसीयत के माध्यम से विवादित भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का एक दावा 88, 89 आर.टी.एक्ट के तहत रेस्पोडेंटगण के विरूद्ध किया था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि गोरधन पुत्र श्री नन्दा बैरवा की थी तथा गोरधन पुत्र श्री नन्दा का दिनांक 10.11.1997 को देहान्त हो गया था, गोरधन की पत्नि गंगाबाई की मृत्यु गोरधन के जीवनकाल में ही हो गई थी, इन दोनों के कोई संतान नहीं हुई, इस कारण गोरधन ने एक वसीयत दिनांक 14.01.1995 को अपने जीवनकाल में अपीलांट के नाम करवायी थी, जो उसकी अंतिम वसीयत थी।

अपीलांट द्वारा इस वसीयत के आधार पर 88, 89 आर.टी.एक्ट का वाद उप जिला कलेक्टर, बारां में पेश किया जिसमें रेस्पोडेंट कम 1 ता 5 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ और उन्होंने वसीयत को सही होना मानकर यह लिख दिया था कि यह भूमि अपीलांट के नाम दर्ज कर दी जावे, अपीलांट की ओर से पी.डब्ल्यू. 1 रविन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 2 व पी. डब्ल्यू. 3 वसीयत के दोनों गवाहों को पेश किया था, इस आधार पर वादग्रस्त आराजी अपीलांट के नाम दर्ज करनी चाहिए थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मानकर कि अपीलांट ने अपने वादपत्र में यह नहीं लिखा कि गोरधन लाऔलाद फौत हुआ है और उसकी यह अंतिम वसीयत है। इस आधार पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जबकि वसीयत के अन्दर ही यह लिखा हुआ है कि मेरी पत्नि मेरे से पहले फौत हो गई है तथा हमारे कोई संतान नहीं हुई तथा यह मेरी अंतिम वसीयत है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न करके अपीलांट के साथ भारी अन्याय किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर विवादित भूमि अपीलांट के नाम राजस्व कागजात में बतौर खातेदार कृषक दर्ज करने की डिक्री जारी की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय हमारे खिलाफ पारित किया है। वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत हुआ है। खातेदार के पुत्र पुत्रियों का प्रश्न लाऔलाद फौत होने पर नहीं उठता है। वादपत्र के पैरा 4 में वसीयत अंतिम है, इसके समर्थन में हमने दो गवाह पेश किये हैं। अतः अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 356, 2007 (1) सी.डी. आर. पेज 865 (राज.) की नजीरे उद्धरत की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में गोरधन पुत्र नन्दा द्वारा विवादित आराजी की वसीयत करना प्रकट होता है। वसीयत के अवलोकन से प्रकट होता है कि वसीयतकर्ता द्वारा कोई संतान नही होने का उल्लेख वसीयत में किया गया है। वसीयत के दो गवाहों के बयान भी पत्रावली में सलंग्न है जो वसीयत के पक्ष में किया जाना प्रकट होता है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में गोरधन के पुत्र–पुत्रियों की संख्या, अंतिम वसीयत बाबत सबूत नहीं होने के आधार पर वाद खारिज किया गया है। जो हमारी राय में विधिसम्मत निर्णय नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वसीयत में गोरधन स्वयं की पत्नि की मृत्यु होना तथा स्वयं के संतान नहीं होना वर्णित करता है।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय को यदि वसीयत बाबत अथवा गोरधन के पुत्र–पुत्रियों बाबत संशय हो तो समाचार पत्रों में इस बाबत सूचना जारी कर आपत्तियां ली जा सकती थी, जो नही कर फौरी तौर पर वाद खारिज करना प्रकट होता है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत व गुणावगुण पर आधारित नहीं होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2021 अपास्त कियाा जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.09.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/07/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा